न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 52/2023

स्टेट जरिये श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनामः–

सोमनाथ कामरा पुत्र मोहनलाल (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः–वेदन्त डिपार्टमेन्टल स्टोर, ज्वाला सिंह रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–मकान नं. 24, स्टार सिटी कॉलोनी, वार्ड नं. 37, चक ज्वालासिंह वाला रोड़, जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांक :–14.05.2024

प्रार्थी श्री जीत सिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीत सिंह यादव दिनांक 20.07.2022 को समय सुबह 11.00 बजे मैसर्सः–वेदन्त डिपार्टमेन्टल स्टोर, ज्वाला सिंह वाला रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन पर पहुंचे। वहां पर सोमनाथ कामरा पुत्र मोहनलाल (विक्रेता) को अपना परिचय दे कर दुकान पर रखे मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में 21 नग मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) के पोली पाउच सील्ड पैकेट आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर कुल 02 किलोग्राम (500 ग्राम X 4) मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) का 100/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा कैश मीमो बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद एवं कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) कुल 02 किलोग्राम (500 ग्राम X 4) मूल पोली सील्ड पैकेटों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. हनुमानगढ़ के कोड एवं क्रमांक एके–2277 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–2277 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को [illegible] में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, [illegible] एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक [illegible] जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। [illegible] कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना [illegible] के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर [illegible] जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 837 दिनांक 29.07.2022 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.24 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/11662–63 दिनांक 18.08.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस की गई कि अप्रार्थी एक गरीब आदमी है। अप्रार्थी की दुकान से सैंपल लिए जाने के पश्चात अप्रार्थी द्वारा उक्त दुकान का संचालन अब बंद कर दिया गया है। अंत में उक्त कार्यवाही को ड्राप किए जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस में लैबल में कमी होने के कारण अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded मेदा (मोर छड़ी ब्राण्ड) का विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 2,000/–(अखरे रूपये दो हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

14/5/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.24 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested